न्यायालय अपर मुख्य न्यायक मजिस्ट्रेट, सोनभद्र
परिवाद केस संख्या–87 / 2016

नवीन कुमार बनाम नीरज चौबे

आदेश पत्रक

22.02.2017

पत्रावली विपक्षी को तलब किए जाने के बिन्दु पर आदेश हेतु नियत है।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की तलबी बहस सुनी जा चुकी है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादी नवीन कुमार की ओर से विपक्षी नीरज चौबे के विरूद्ध संस्थित परिवाद पत्र का सारांश इस प्रकार है कि विपक्षी ने परिवादी के फर्म से सरिया व सीमेंट क्रय किया जिसके भुगतान के लिए विपक्षी ने परिवादी को तीन लाख रूपये का चेक संख्या–000003 / 231240102 दिनांक 01.08.2015 को जो एच0डी0एफ0सी0 बैंक रा0गंज का था, दिया जिसे परिवादी ने भुगतान हेतु दिनांक 10.10.2015 को अपने खाता बैंक आफ इण्डिया रा0गंज, सोनभद्र में जमा किया किन्तु विपक्षी के खाते में अपर्याप्त धनराशि होने के कारण उक्त चेक दिनांक 19.10.2015 को अनादृत हो गया। यह भी बताया गया कि विपक्षी का खाता बन्द हो चुका है। इस पर परिवादी ने विपक्षी को नोटिस प्रेषित किया। इसके बावजूद विपक्षी ने परिवादी को धनराशि वापस नहीं किया। तब परिवादी ने यह वाद न्यायालय में दाखिल किया।

परिवादी ने अपने कथन के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र, नोटिस की प्रति, रजिस्ट्री की रसीद, मूल चेक तथा रिटर्न मेमो दाखिल किया है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विपक्षी नीरज चौबे के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा–138 पराक्राम्य विलेख अधिनयम के अंतर्गत आपराधिक मामला बनता प्रतीत होता है। तद्नुसार अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त अपराध के लिए परीक्षण हेतु आहूत किया जाता है।

परिवादी द्वारा धारा–204दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत नियमानुसार पैरवी अन्दर सप्ताह किए जाने पर विपक्षी उपरोक्त को जरिए समन दिनांक 31.03.2017 के लिए तलब किया जाये।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सोनभद्र।
22.02.2017